राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक:– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2271 **दिनांक:–** 04/09/19

द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु सार्वजनिक सूचना

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा कौंसिल के अध्यधीन विभिन्न पैरामेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2019–20 में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु प्रथम काउन्सिलिंग के आधार पर विभिन्न संस्थानों/कॉलेजों में आवंटित अभ्यर्थियो ने दिनांक 28.08.2019 (दिव्यांगजन के लिए 02.09.2019) तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर दी है, जिसकी ऑनलाइन सूचना भी संबंधित संस्थान/कॉलेज द्वारा कौंसिल को प्रेषित कर दी गई है। प्रथम काउन्सिलिंग के उपरान्त विभिन्न संस्थानों/कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु कौंसिल द्वारा द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग का आयोजन किया जायेगा।

1. विकल्प पत्र भरने की दिनांक, समय एवं प्रक्रिया

अभ्यर्थी **Upward Movement** एवं द्वितीय काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन पोर्टल www.rajasthanparamedicalcoucil.org पर दिये गये लिंक ***Second Couseling Option Form 2019-20 Link*** पर जाकर दिनांक 04.09.2019 को सायं 5:00 बजे से दिनांक 08.09.2019 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक अपना आवेदन–पत्र क्रमांक(उदाहरणतः RPC–1910050325) एव अपनी जन्म दिनांक का उपयोग कर अपने विकल्प पत्र भर सकते हैं।

विकल्प पत्र भरते समय अभ्यर्थी विकल्प चुनने के साथ अपनी श्रेणी(Category) EWS, TSP, Sahariya, उप श्रेणी(Sub Category) यथा PH, WDP/WPP, Widow/Divorcee, मोबाईल नम्बर(स्वयं या किसी परिचित का जिससे मैसेज के द्वारा सूचना प्राप्त हो सके) को भी अद्यतन कर सकते है।

2. पात्रता एवं विकल्प पत्र भरने का विवरण

(क). **द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु** – ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउन्सिलिंग में कोई संस्थान/कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है अथवा जिनके द्वारा प्रथम काउन्सिलिंग में आवंटन उपरान्त रिपोर्टिंग व जॉइनिंग नहीं की है अथवा जिनका आवंटन उनकी आरक्षित श्रेणी सही नहीं होने के कारण या अन्य किसी कारण से निरस्त किया गया है, वे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु पात्र होंगें।

द्वितीय काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी को पूर्णतः नये सिरे से विकल्प पत्र भरना होगा अर्थात् पूर्व(आवेदन करते समय भरे गये विकल्प) में भरे गये विकल्प अमान्य होगें। विकल्प पत्र भरते समय अभ्यर्थी को पूर्व में आवेदन करते समय की भांति प्रत्येक विकल्प के लिए कॉलेज/संस्थान एवं कोर्स का चुनाव करना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा द्वितीय काउन्सिलिंग में पुनः विकल्प प्रस्तुत कर आवेदन नहीं किया जाता है तो उसे द्वितीय काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

(ख). **Upward Movement हेतु** – जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटन हो चुका है तथा उनके द्वारा संबंधित संस्थान/कॉलेज में रिपोर्टिंग व जॉइनिंग भी कर ली गई है वे अभ्यर्थी Upward Movement हेतु पात्र होंगें।

प्रक्रिया – Upward Movement केवल् रिक्त रही सीटों पर ही किया जायेगा। Upward Movement में अभ्यर्थी प्रथम काउन्सिलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई आवंटित विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप भरी गई रिक्त (यदि कोई हो तो) सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वे द्वितीय काउन्सिलिंग के दौरान बिन्दु संख्या 1 में अंकित अवधि में ही Upward Movement का विकल्प भर सकते हैं (अर्थात् उदाहरणतः यदि किसी अभ्यर्थी को उनके विकल्पों के अनुसार 5 वीं वरीयता के विकल्प की सीट आवंटित हुई हो, तो वे Upward Movement के माध्यम से विकल्प वरीयता क्रम में 1 से 4 की सीटों पर रिक्त होने की अवस्था में नवीन आवंटन हेतु पात्र होंगे)। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग के दौरान नवीन विकल्प नहीं भर सकेंगे, केवल Upward Movement: Yes/No का विकल्प भर सकेंगे।

अतः यह विकल्प देने से पूर्व अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समय भरे गये विकल्पों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर पूर्ण विचार कर लेवें। किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के उपरान्त उच्चतर वरीयता के विकल्पों में से कोई भी एक सीट आवंटित होने पर पूर्व काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर किसी प्रकार का कोई दावा (Claim) किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Upward Movement होने की अवस्था में अभ्यर्थी को पूर्व काउन्सिलिंग में आवंटित कॉलेज/कोर्स की सीट का आवंटन स्वतः ही रद्द हो जायेगा और उन्हें नवीन आवंटित कॉलेज/कोर्स आवंटित हो जायेगा। इस नवीन आवंटित कॉलेज में उनके मूल दस्तावेजात व फीस Upward Movement में आवंटित कॉलेज को पूर्व आवंटित कॉलेज द्वारा स्वतः ही अन्तरित (Transfer) किये जायेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा Upward Movement के अन्तर्गत नवीन आवंटित सीट पर जॉइन/रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो उन्हें उनके मूल दस्तावेजात पूर्व आवंटित कॉलेज द्वारा लौटा दिये जायेगे तथा अभ्यर्थी के द्वारा जमा करायी गयी फीस की राशि को संबंधित कॉलेज/संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को न लौटाया जाकर कौंसिल के खाते में जमा कराया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी द्वारा तृतीय काउन्सिलिंग में भाग लिया जाकर तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित कॉलेज में जॉईन करता है तो कौंसिल द्वारा इस फीस को अभ्यर्थी के जॉइन करने के उपरान्त तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। अगर अभ्यर्थी तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित कॉलेज में भी जॉईन नहीं करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस Not Refundable है।

Upward Movement हेतु उदाहरणतः(For Example) : मान लीजिये एक अभ्यर्थी श्री सुरेश कुमार ने प्रथम बार आवेदन–पत्र भरते समय संस्थान/कॉलेज एवं कोर्स के अपने विकल्प वरीयतानुसार निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत किये थे –

विकल्प संख्या	संस्थान/कॉलेज का नाम	कोर्स का नाम
1	कॉलेज क	कोर्स ए
2	कॉलेज क	कोर्स बी
3	कॉलेज ख	कोर्स ए
4	कॉलेज ग	कोर्स ए
5	कॉलेज ग	कोर्स बी

प्रथम काउन्सिलिंग के पश्चात् श्री सुरेश कुमार को उनके विकल्प 5 के अनुसार कॉलेज ग एवं कोर्स बी आवंटित किया गया और श्री सुरेश कुमार ने कॉलेज ग में प्रवेश प्राप्त कर लिया है तो अब वह Upward Movement के लिए योग्य माना जावेगा। द्वितीय काउन्सिलिंग में श्री सुरेश कुमार Upward Movement के लिए Yes कर Upward Movement में शामिल होता है तो श्री सुरेश कुमार को उनकी विकल्प संख्या 1 से 4 में वरीयतानुसार रिक्त सीट होने पर संस्थान/कॉलेज एवं कोर्स आवंटित किया जावेगा।

यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि Upward Movement के दौरान अभ्यर्थी को रिक्त सीट होने पर आवंटित कॉलेज/कोर्स पूर्व में आवंटित से भिन्न हो सकते है। जैसे कि ऊपर दिये गये उदाहरण में यदि श्री सुरेश कुमार को विकल्प संख्या 3 आवंटित होता है तो कॉलेज एंव कोर्स दोनों भिन्न होंगे, यदि विकल्प संख्या 4 आवंटित होता है तो केवल कोर्स भिन्न होगा और यदि विकल्प संख्या 2 आवंटित होता है तो केवल कॉलेज भिन्न होगा।

3. आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वालों के लिए

द्वितीय काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे अपने आवेदन में अंकित उनकी आरक्षण श्रेणी (Category) यथा TSP, EWS, Sahariya एवं उप आरक्षण श्रेणी(Sub Category) PH, WDP/WPP, Widow/Divrocee आदि, को भली प्रकार जाँच लेवें तथा आवश्यक होने पर इसे संशोधित कर संबंधित प्रमाण पत्र को अपलोड कर देवें, जिससे उनके संबंधित श्रेणी में संस्थान/कोर्स आवंटन होने पर उन्हें रिपोर्टिंग में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो।

साथ ही जिन अभ्यर्थियों को अपनी उर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी यथा ST, SC, OBC, MBC आदि में अगर कोई परिवर्तन करवाया जाना है तो संबंधित दस्तावेज के साथ वह अभ्यर्थी विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक से पूर्व कौंसिल में व्यक्तिशः संपर्क करें।

(क). **दिव्यांगजन श्रेणी के लिए** – यदि प्रथम काउन्सिलिंग में **PH** श्रेणी में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन होने के उपरांत सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा **PH** श्रेणी के अन्तर्गत नहीं माना गया है तो वे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सिलिंग मे पुनः **PH** उप आरक्षण श्रेणी(Sub Category) श्रेणी में आवेदन न करें।

(ख). यदि प्रथम काउन्सिलिंग में **PH** श्रेणी में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन होने के उपरांत सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मेडिकल बोर्ड द्वारा जिन अभ्यर्थियों को नियमानुसार पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता के प्रकार व मात्रा के आधार पर योग्य नहीं माना गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जावेगा।

5/9/19

4. **आरक्षित श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना या गलत अपलोड करना –** कृपया ध्यान रहे कि आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र वैबसाईट पर अपलोड नहीं किया है अथवा गलत प्रमाण पत्र अपलोड किया है, तो रिपोर्टिंग/जॉइनिंग के दौरान आवंटित संस्थान/कॉलेज द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय Uploaded दस्तावेजात असत्य/गलत पाये जाने पर उनका आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के प्रति कौंसिल का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

5. **प्रमाण पत्र अपलोड की अनिवार्यता –** किसी भी आरक्षित श्रेणी (यथा SC, ST, OBC, MBC, TSP, Sahariya, EWS, PH, WDP/WPP आदि) में आवेदित अभ्यर्थियों द्वारा यदि संबंधित प्रमाण पत्र द्वितीय काउन्सिलिंग के दौरान अपलोड नहीं किया जाता है, तो उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाकर संबंधित श्रेणी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

समस्त संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित है।

4/9/19
रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउ. (सत्र 2019–20)/2019/2271 **दिनांकः–** 04/09/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
2. सर्वर प्रभारी कौंसिल वैबसाइट को भेजकर लेख है कि इसे आज ही कौंसिल की वैबसाइट पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली

4/9/19
रजिस्ट्रार